# न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

## पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

**प्रकरण संख्या 152/2011 ( बांसवाड़ा डिकी )**

1. श्री मडीया तिा परसेंग पारगी भील निवासी घाटीगढ़ा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0)

....................... अपीलान्ट

**बनाम**

1. श्री भूरा पिता हकजी पारगी भील निवासी ग्राम घाटीगढ़ा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0) (नाम तर्क)
2. श्री प्रभू पिता भूरा पारगी भील निवासी ग्राम घाटीगढ़ा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0)
3. श्री हुका पिता लखजी पारगी भील निवासी ग्राम घाटीगढ़ा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0)
4. श्री नागजी पिता हलीया पारगी भील निवासी ग्राम घाटीगढ़ा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0)
5. श्री नूरा पिता हकजी पारगी भील निवासी ग्राम घाटीगढ़ा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0)
6. श्री मोहन पिता कालू पारगी भील निवासी ग्राम धाटीगढ़ा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0)
7. श्री रकमा पिता कालू पारगी भील निवासी ग्राम घाटीगढ़ा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0)
8. श्री हीरा पिता वीरजी पारगी भील निवासी ग्राम घाटीगढ़ा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0)
9. श्रीमती मीरा पत्नी भूरा पारगी भील निवासी ग्राम घाटीगढ़ा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0)
10. श्रीमती हुकी पत्नी प्रभू पारगी भील निवासी ग्राम घाटीगढ़ा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0) (नाम तर्क)
11. श्री हकजी पिता परथा पारगी भील निवासी ग्राम घाटीगढ़ा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0)

12. श्रीमती थावरी पत्नी हुका पारगी भील निवासी ग्राम घाटीगढ़ा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0)
13. श्रीमती रिशमा पत्नी नूर पारगी भील निवासी ग्राम घाटीगढ़ा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0)
14. श्री कालू पिता नाथू पारगी भील निवासी ग्राम घाटीगढ़ा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0)
15. **श्री छगन पिता हकरा पारगी भील निवासी ग्राम घाटीगढ़ा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0) के बजाय** :–

    15/1– श्री सुरेज पिता छगन पारगी भील निवासी घाटीगढ़ा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0)

    15/2– श्रीमती मणी बेवा छगन पारगी भील निवासी घाटीगढ़ा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0)
16. श्री हकर पिता नाथू पारगी भील निवासी ग्राम घाटीगढ़ा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0)
17. श्री जीतु पिता हकजी पारगी भील निवासी ग्राम घाटीगढ़ा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0)
18. श्री रमेश पिता हकजी पारगी भील निवासी ग्राम घाटीगढ़ा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0)
19. श्री हीरा पिता हकजी पारगी भील निवासी ग्राम घाटीगढ़ा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0)
20. श्री धुलिया पिता विलजी पारगी भील निवासी ग्राम घाटीगढ़ा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0) (नाम तर्क)
21. श्री ईश्वर पिता लखजी पारगी भील निवासी ग्राम घाटीगढ़ा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0)
22. श्री जयन्ति पिता लख जी पारगी भील निवासी ग्राम घाटीगढ़ा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0)
23. श्री लखजी पिता गला पारगी भील निवासी ग्राम घाटीगढ़ा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0)

................ रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी बागीदौरा दिनांक 30–05–2011 प्रकरण
सांख्या 124 / 2007 राजस्व वाद

–––/–––

उपस्थित :–1– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री एम.के.गांधी अभिभाषक रेस्पो. संख्या 2 से 10,
12 से 19, 21 से 23

––––/––––

**<u>निर्णय</u>** **<u>दिनांक 29–05–2018</u>**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 183, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम माछड़ा (घाटीगढ़ा) में आराजी नंबर 179 रकबा 1.94 हैक्टर भूमि का वादी खातेदार एवं काबिज है, परन्तु प्रतिवादीगण ने 2002 के आषाड़ में उसकी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है। अतएव प्रतिवादीगण को बेदखल कर उसे कब्जा दिलवाकर स्थाई निषेधाज्ञा एंव विधिक अनुतोष दिलवाया जाय।

प्रकरण में बावजूद अवसर जवाब प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट की और से पेश नहीं हुआ तथा दिनांक 10–3–2011 को प्रतिवादी अधिवक्ता ने हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किया। अधिनस्थ न्यायालय ने बहस सुनने के बाद अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30–5–2011 से वादी अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया गया, परन्तु प्रकरण में डिक्री वादी के वाद अनुसार डिक्री कर दिया गया। प्रकरण में संशोधित डिक्री दिनांक 15–7–2011 को निर्णय के अनुरूप जारी कर वाद खारिज किये जाने की डिक्री पिारित की।

अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30–4–2011 से रूष्ट होकर वादी अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 21–7–2011 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 से 10, 12 से 24, 18, 15 की और से अधिवक्ता श्री एम.के.गांधी ने उपस्थिति दी। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। रेस्पोन्डेन्ट प्रतिवादी की और से कोइ विधिक/दस्तावेजी खण्डन या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ। अधिनस्थ न्यायलय द्वारा मनमकसूद विवेचन कर वादी अपीलान्ट का वाद इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलान्ट द्वारा खसरा गिरदावरी के आधार पर अतिक्रमण प्रमाणित नहीं किया।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खण्डन रहित वाद को खसरा गिरदावरी के आधार पर अतिक्रमण सिद्ध नहीं होने की अनावश्यक अविधिक आधारों पर खारिज करने की त्रुटि की है।, साथ ही डिक्री त्रुटिपूर्ण जारी की है, जिसके संशोधन में अपीलान्ट वादी को नहीं सुना है।

उपरोक्तनुसार अधिनस्थ न्यायालय का का निर्णय तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए उभयपक्षों को पुनः सुनकर निर्णय पारित करें।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29–05–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**( एल.एन.मंत्री )**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

# डिगरी व सीगे अपील

( ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ............... **भू.प्र.अ. एवं पदेन र0ा.अ.अ.** .............मुकाम ........ **उदयपुर** व इजलास ........... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ......................................

**1–श्री मोहन पिता विठला जोगी निवासी गांव सागडोद तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0) अन्य–4**

बनाम

**1– श्री हीरा पिता वेलिया जोगी निवासी गांव सागडोद तह0 व जिला बांसवाड़ा (राज0) अन्य–3 व सरकार**

अपील नं0 **42/2012** बनाराजगी डिगरी अदालत...................**उपखण्ड अधिकारी** ....................**बांसवाड़ा............** मुकाम मुर्क्खे.............**28**...............माह........**08**..........**2012**

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख ......**28**..... माह ......**05**.......... सन् **2018** रूबरू............ पक्षकारान व हाजरी ....**श्री शकील मोहम्मद....**....................... मिनजानिब अपीलान्ट व ................**श्री जयेन्द्र पुरोहित** .............. रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा आधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–8–2012 यथावत रखा जाता है।**

( खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये.......... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ................... X ..................... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .......**28**...... माह ...**05**........ **2018** को जारी किया गया।

**(एल.एन.मंत्री )**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेसपोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ................. ..स्टाम्प वकालत नामा.... <br> 2. इजराय हुक्मनामा .......... <br> 3. वकील फीस बाबत ........ <br> मीजान ......... ... | | | | | |

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।